न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/852/भरतपुर.

1. मु0 आनन्दी पुत्री हेतराम जाति बावरिया निवासी आजाद नगर रूध इकरन तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
2. हरीसिंह) पिसरान नारायण जाति बावरिया निवासी
3. रतीराम) आजादनगर रूध इकरन तहसील व जिला भरतपुर
4. बाबू)
5. दुलारी पुत्री नारायण पत्नि शेरसिंह जाति बावरिया निवासी खेरथल तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
6. कामसदेवी पुत्री नारायण पत्नि सोहनलाल जाति बावरिया निवासी रसूलपुर तहसील पलवल जिला फरीदाबाद
7. कल्लो पुत्री नारायण पत्नी निवोरी जाति बावरिया निवासी चन्दनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
8. नारायण पुत्र मंगतू जाति बावरिया निवासी आजादनगर रूध इकरन तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. मु0 कल्लो बेवा तोता (मृतक आदेश दि. 17-12-24 द्वारा तर्क किया गया)
2. राजवीर पुत्र तोता जाति बावरिया निवासी आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर
3. करनसिंह पुत्र तोता जाति बावरिया निवासी आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर (मृतक) जरिये वारिसान :-
   - 3/1. राजकुमार पत्नि करनसिंह उर्फ रामवीर
   - 3/2. कंचन पुत्री करनसिंह उर्फ रामवीर
   - 3/3. सागर पुत्र करनसिंह उर्फ रामवीर) नाबालिगान जरिये संरक्षक
   - 3/4. शालू पुत्री करनसिंह उर्फ रामवीर) वली माता राजकुमारी
   - 3/5. अंजली पुत्री करनसिंह उर्फ रामवीर) पत्नि करन सिंह उर्फ
   - 3/6. शिवा पुत्र करनसिंह उर्फ रामवीर) रामवीर
   - 3/7. पवन पुत्र करनसिंह उर्फ रामवीर)
   - 3/8. स्वीटी पुत्री करनसिंह उर्फ रामवीर)

   समस्त जाति बावरिया निवासी आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।
4. इन्दर उर्फ भगवान पुत्र तोता जाति बावरिया नाबालिगान बविलायत
5. दीपू उर्फ रामकेश माता खुद मु0 कल्लो बेवा तोता जाति बावरिया निवासी ग्राम आजादनगर रूंघ इकरन तहसील व जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः

श्री जे.के. पारीक, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री रोहित सोनी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 28–01–2025

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2003, बउनवान आनन्दी वगैरह बनाम मु0 कल्लो वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील याचिका के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व 53 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 660 रकबा 194 एयर वाके ग्राम रूंध इकरन तहसील भरतपुर के वादिनी के पिता श्री हेतराम खातेदार थे, जिनके निधन के बाद आराजी का नामांतरकरण वादिनी एवं वादिनी के भाई तोता व दयाराम के नाम स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ, जो अभी तक लगातार चला आ रहा है। वादिनी के भाई तोता का करीब 2 वर्ष पूर्व निधन होने से उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। हेतराम के पुत्र दयाराम करीब 25–30 वर्ष से लापता है, इसलिए उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी तीन टुकड़ो में है। वादिनी पूरब व दक्षिणी हिस्से पर काबिज है व प्रतिवादी तोता के वारिसान प्रतिवादी सं0 2 से 5 उत्तरी हिस्सी में काबिज है। वादी के भाई दयाराम का कोई अता–पता नहीं होने से उसके हिस्से की 1/3 हिस्से पर भी वादिनी काश्त करती है इसलिए वादिनी आराजी में 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी तोता के वारिसान का 1/3 हिस्सा पर काबिज है। बरसात होने के पश्चात् दिनांक

19–6–95 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह धमकी दी कि वादिनी सम्पूर्ण आराजी में से आधे हिस्से की आराजी को काश्त उन्हें करने दे अन्यथा प्रतिवादीगण को 2/3 हिस्से की आराजी में काश्त नहीं करने देंगे। इस पर वादिनी ने कहा कि तुम्हारा इस आराजी में 1/3 हिस्सा जो उत्तरी की तरफ है, उसी पर तुम्हारा अधिकार है पूरब व दक्षिण की तरफ की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। यदि चाहो तो अपनी भूमि का बंटवारा करा लो, जिस पर उन्होंने बंटवारा कराने से मना किया कि हम बंटवारा नहीं करायेंगे, ना ही वादिनी को अकेला काश्त करने देंगे। इसलिए वादिनी को 2/3 हिस्से की आराजी की घोषणा व बंटवारा किया जाना आवश्यक हो गया।

विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि वादिनी आराजी के 2/3 हिस्से पर काबिज नहीं है, न ही उसने 2/3 आराजी प्राप्त की है, बल्कि दयाराम ने लापता होने से पूर्व अपने 1/3 हिस्से को मु0 कल्लो प्रतिवादी सं0 1 को लिखकर दिया हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 से 5 विवादित आराजी के 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम करते हुए बाद साक्ष्य तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–4–2003 द्वारा वादपत्र खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–12–2004 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी के भाई दयाराम के लापता होने से वह आराजी के 2/3 हिस्से पर काश्त करती है, प्रतिवादीगण 1/3 हिस्से पर काबिज है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को विवेचित किये

बिना वादी का वाद खारिज किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने बहाल रखने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। वादग्रस्त आराजी तीन टुकड़ों में है, जिसमें वादिनी पूरब व दक्षिण हिस्से पर काबिज है व प्रतिवादीगण सं0 2 से 5 उत्तरी हिस्से पर काबिज है। वादिनी के पूर्वी हिस्से पर दो पम्प सेट व दो नीम के पेड़, एक वैर का पेड़ व एक फरास व एक रेमजा का पेड़ है। इस तथ्य की ओर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई गौर नहीं किया है। वादिनी अपने 2/3 हिस्से के लिए आराजी का बंटवारा कराना चाहती है, जिसके लिए प्रतिवादी द्वारा इन्कार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के अनुसार तनकियों की विरचना नहीं की गई, न ही सभी तनकियों का निर्णय विधि अनुसार किया है। सभी तनकियों का निर्णय अलग–अलग एवं सभी दस्तावेजों का विवेचन करते हुए किया जाना चाहिए। अपीलार्थी वादीगण का दावा पूर्णतया साबित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद एवं अपील को खारिज करने में तथ्य एवं विधि संबंधी त्रुटि कारित की है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा बहस के दौरान 2008 आर.आर.डी. 509, 2011(2) आर.आर.टी. 1035, 2001 डी.एन.जे. (एस.सी.) 433, 2014 (1) आर.आर.टी. 320 एवं 2013 (1) आर.आर.टी. 652 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर ध्यान आकृष्ट करवाया गया।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकियों पर विस्तृत विवेचना करते हुए यह पाया है कि दयाराम के लापता होने की पुलिस में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है, न ही दयाराम को अपना पक्ष रखने के लिए कोई सार्वजनिक नोटिस ही निकाला गया है, इसलिए दयाराम के 1/3 हिस्से पर अधिकार सृजित नहीं होते हैं तो वादिनी का 2/3 हिस्से पर अधिकार कैसे हो सकता है। वादिनी का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है, इसलिए उसे अपनी खातेदारी की आराजी की घोषणा करानी चाहिए, न कि दयाराम के हिस्से की आराजी की। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखने में कोई भूल कारित नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से

हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5– हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 660 रकबा 1.94 है0 मूल खातेदार हेतराम की थी, जिनकी मृत्यु के उपरांत जमाबंदी संवत् 2050–53 में विवादित भूमि आनन्दी पुत्री हेतराम, तोता व दयाराम पि. हेतराम जाति बावरिया के नाम दर्ज हुई। चूंकि अपीलार्थी वादीया दयाराम के कई वर्षों से लापता होने का आधार लेते हुए उसके हिस्से की 1/3 भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना अभिकथित किया गया है तथा अपने हक में 2/3 हिस्सा भूमि की घोषणा करने व तदनुसार बंटवारा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादीगण द्वारा दयाराम के लापता होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही दयाराम के लापता होने की एफ.आई.आर. अथवा वाद में उसे अथवा उसके प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिये सार्वजनिक नोटिस अखबार साया करवाया है। यदि दयाराम मृत हो तो भी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 133, 135 व 135 सपठित राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम–95 के नियम 119 लगायत 143 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की है एवं ना ही दयाराम की सिविल मृत्यु होने एवं उसके विधिक उत्तराधिकार के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा जारी कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अभाव में अपीलार्थी वादीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। पत्रावली पर सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30–01–97 की प्रति भी उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मु0 कल्लो द्वारा अपीलार्थीया आनन्दी के विरूद्ध दयाराम के हिस्से की आराजी बाबत् एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया था, जिस पर सहायक कलक्टर, भरतपुर ने दिनांक 30–1–97 को वादग्रस्त आराजी में दयाराम के 1/3 हिस्से के संबंध में दयाराम के वारिसान के तय होने तक तहसीलदार भरतपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया एवं दयाराम के हिस्सा भूमि को कब्जे राज लेकर

नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना करते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई तथ्य या विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है तथा योग्य अपीलीय न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सुभिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा अपीलार्थीगण द्वारा दौराने अपील ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण हमारे समक्ष पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक /01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी) **(आर.डी. मीणा)**

सदस्य **सदस्य**